रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 584] नई दिल्ली, बुधवार, जून 8, 2005/ज्येष्ठ 18, 1927
No. 584] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 8, 2005/JYAISTHA 18, 1927

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 जून, 2005

का. आ. 795(अ).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36वां) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) 10 जून, 2003 से प्रवृत्त हुआ है;

और अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र,उत्पादन कंपनियों या विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण में लगी या अनुज्ञप्तिधारियों पर ऐसी फीस और प्रभार उद्गृहीत तथा उनसे संगृहीत कर सकेगा जो केंद्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

और, अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि राज्य भार प्रेषण केन्द्र,उत्पादन कंपनियों या विद्युत के अंतःराज्य पारेषण में लगी अनुज्ञप्तिधारियों पर ऐसी फीस और प्रभार उद्गृहीत तथा उनसे संगृहीत कर सकेगा जो राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

और अंतर-राज्यिक अथवा अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले, अनुज्ञप्तिधारियों से फीस और प्रभारों का उद्ग्रहण और संग्रहण करने में कठिनाइयां उद्भूत हुई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 183 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फीस व प्रभारों का उद्ग्रहण और संग्रहण करने के संबंध में कठिनाइयों को दूर करने के लिए, जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः-

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम (कठिनाई दूर करना) (छठा) आदेश, 2005 है ।

(2) यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु फीस और प्रभारों का उद्ग्रहण और संग्रहण

(1) क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, अंतर-राज्यिक पारेषण का उपयोग करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों से ऐसी फीस और प्रभारों का उद्ग्रहण और संग्रहण कर सकेगा जो केंद्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं;

(2) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, अंतःराज्य पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों से ऐसी फीस और प्रभारों का उद्ग्रहण और संग्रहण कर सकेगा जो राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

[फा. सं. 25/25/2004-आर एंड आर]
अजय शंकर, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 8th June, 2005

S.O. 795(E).—Whereas the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) (hereinafter referred to as the Act) came into force on the 10th June, 2003;

And whereas the sub-section (4) of section 28 of the Act provides that the Regional Load Despatch Centre may levy and collect such fee and charges from the generating companies or licensees engaged in inter-State transmission of electricity as may be specified by the Central Commission;

And whereas the sub-section (3) of section 32 of the Act provides that the State Load Despatch Centre may levy and collect such fee and charges from the generating companies and licensees engaged in intra-State transmission of electricity as may be specified by the State Commission;

And whereas difficulties have arisen in levying and collecting of fees and charges from the licensees using the inter-state or intra-state transmission systems;

Now, therefore, the Central Government in exercise of its powers conferred by section 183 of the Act hereby makes this order in respect of levy and collection of fees and charges for using the transmission systems, not inconsistent with the provisions of the Act, to remove the difficulties, namely:-

1. **Short Title and Commencement**:-

(1) This order shall be called the Electricity (Removal of Difficulty) (sixth) Order 2005.

(2) This order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Levy and collection of fees and charges for using transmission system.-

(1) The Regional Load Despatch Centre may levy and collect such fee and charges from the licensees using the inter-state transmission system as may be specified by the Central Commission.

(2) The State Load Despatch Centre may levy and collect such fee and charges from the licensees using the intra-state transmission system as may be specified by the State Commission.

[F. No. 25/25/2004-R&R]
AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.